न्यायालय, भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–..29.. / 2018–19

ललिता देवी..अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू...प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
19.07.18	अपीलार्थी ललिता देवी, पति–सुभाष चन्द्र महतो, ग्राम–पातसायडीह, डाकघर–लुंगटू, थाना–तमाड़, जिला–राँची ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–318 R27/2017-18/बुण्डू में दिनांक–10/05/2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।	

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू/0028	1165	2505	06 डीसमील

अपीलार्थी सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी का कहना है कि उपरोक्त वर्णित भूमि का दाखिल खारिज हेतु अंचल कार्यालय, बुण्डू में ऑनलाईन आवेदन दिया जिसमें निबंधन तिथि ऑनलाईन में गलत दर्ज हो जाने के कारण अंचल अधिकारी, बुण्डू द्वारा नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–318 R27/2017-18/बुण्डू में दिनांक–10/05/2018 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू ने प्रतिवेदित किया है कि नामांतरण आवेदन ऑनलाईन प्राप्त है, जिसमें निबंधन तिथि गलत है। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत ज्ञात होता है कि ऑनलाईन आवेदन में निबंधन तिथि गलत दर्ज होना मानवीय भूल है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि उक्त भूल सुधार करते हुए अपीलार्थी को सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

19/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

19/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।